बालक/बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कानून

राजस्थान पुलिस अकादमी

नेहरू नगर, जयपुर

बाल सुरक्षा एवं कानून

भारत सरकार बच्चों को एक सुखद, स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न प्रयास किये गये है लेकिन फिर भी समाज में बच्चे हिंसा का सामना कर रहे हैं जो सभी के लिए चिन्ता का विषय है। बाल अधिकार संधि में नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इन चार प्रकार के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है । ये अधिकार निम्नलिखित है ।

- उतरजीविता का अधिकार
- विकास का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

बालकों/बालिकाओं की सुरक्षा, देश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम तथा कानूनी प्रावधानों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कानून बनाये गये है। जिनमें से मुख्य कानून निम्नलिखित हैं–

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

भारत सरकार द्वारा ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। यह कानून 14 नवम्बर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ हैं।

विशेषताएं –

– यह अधिनियम, हर बच्चे को, जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, उसे यौन उत्पीड़न, यौनाचार और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है।

– यह कानून लिंग समान है इसमें पीड़ित या दोषी लड़का अथवा लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है।

– इसमें अपराधों को स्पष्ट रूप से कानून में परिभाषित करते हुए बाल मैत्री प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

– किसी भी व्यक्ति को अपराध की जानकारी होने पर रिपोर्ट नहीं करने तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

– अधिनियम के अन्तर्गत कठोर दण्ड का प्रावधान है जो अपराध की गम्भीरता के अनुरूप वर्गीकृत है।

– विशेष अदालत की स्थापना एवं पीड़ित के लिए राहत और पुनर्वास के प्रावधान किये गये हैं।

– अधिनियम में पूर्णत पीड़ित को निजता प्रदान की गयी है। आरोपियों के सम्पर्क में नहीं लाया जाता है।

– बालक की भाषा को समझने के लिये अनुवादक, विशेष शिक्षक या दुभाषिया की सेवायें उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

– बालक के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित करने का प्रावधान है।

– पुलिस व मीडिया को बच्चे की पहचान का खुलासा करने से वर्जित किया गया है।

अधिनियम में अपराध एवं सजा

– **धारा 3** के अनुसार किसी बालक/बालिकाओं पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर धारा 4 के प्रावधानों के अर्न्तगत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। 16 वर्ष से कम आयु के बालक पर ऐसा हमला करने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से है, के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

– **धारा 5** के अनुसार किसी बालक/बालिका पर गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर धारा 6 के प्रावधानों के अर्न्तगत 20 साल से लेकर आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवन से है, या मृत्युदण्ड तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ गंभीर प्रवेशन हमला करने का अपराध भी शामिल है।

– **धारा 7** के अनुसार किसी बालक/बालिका पर लैंगिक हमला करने पर धारा 8 के प्रावधानों के अर्न्तगत 3 साल से लेकर 5 साल तक के कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

– **धारा 9** के अनुसार किसी बालक/बालिका पर गंभीर लैंगिक हमला करने पर धारा 10 के प्रावधानों के

अर्न्तगत 5 साल से लेकर 7 साल तक के कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान किया गया है।

- धारा 11 के अनुसार किसी बालक/बालिका पर लैंगिक उत्पीडन करने पर धारा 12 के प्रावधानों के अर्न्तगत 3 साल तक के कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 13 के अनुसार किसी बालक/बालिका का अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने पर अलग अलग परिस्थितियों में धारा 14 के प्रावधानों के अर्न्तगत 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।
- धारा 15 के अनुसार बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण, कब्जे, तथा ऐसे साहित्य को नष्ट करने या डिलीट करने में असफल होने पर अलग अलग परिस्थितियों में 5 से 10 हजार रुपये के जुर्माने तथा 3 साल से 7 साल तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- धारा 23 के अनुसार मीड़िया में बच्चे की पहचान का खुलासा करने पर 6 माह का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों के मामलों में कल्याणकारी एवं बदलाव के आशय रखता है। अधिनियम की मंशा है कि बच्चों के साथ सामान्य अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जावे।

- इस अधिनियम के तहत बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करते हुए उनको पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है।
- इस अधिनियम में दो श्रेणियों के बच्चों जिसमें विधि से संघर्षरत किशोर व देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया गया है।
- **धारा 4** विधि से संघर्षरत किशोर जिसने 18 वर्ष से कम उम्र में किसी स्थापित विधि का उल्लंघन किया है ऐसे बच्चों को इस धारा के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है।
- **धारा 27** देखरेख व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों का गठन किया गया है।

इस अधिनियम में बालकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा विभिन्न सम्प्रेक्षण, विशेष एवं बाल गृहों की स्थापना की गयी है, जिनमें बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु समस्त सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है।

- **धारा 74** के अनुसार किशोर का नाम इत्यादि प्रकाशन करना निषेध है ऐसा किये जाने पर 6 माह तक कारावास या दो लाख रूपये जुर्माना का प्रावधान है।
- **धारा 75** के अनुसार बालक के प्रति क्रूरता पर 3 वर्ष तक कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना है।
- **धारा 76** के अनुसार बालक से भीख मंगवायेगा उसे पांच वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माना हो सकता है।
- **धारा 77** के अनुसार बालक को मादक पदार्थ देने पर सात साल का कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना है।
- **धारा 78** के अनुसार बालक का मादक द्रव्य विक्रय, आपूर्ति करने या तस्करी करने पर सात साल का कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान है।
- **धारा 79** के अनुसार किशोर बालक कर्मचारी का शोषण इसमें 5 वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रूपये होगा।

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

हमारे देश में बाल मजदूरी पर अनेक कानूनी प्रतिबन्ध लगे हुए है। बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में विशेष तरह के कारोबार व धन्धों में बच्चों की संलिप्तता पर प्रतिबन्ध लगाता है।

– वर्ष 2016 में अधिनियम में संशोधन किये जाकर इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

- यह अधिनियम बच्चों के कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों का नियमन भी करता है। इस अधिनियम से बाल मजदूरों की स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी तरह का श्रम नहीं कराया जा सकता है।
- 14 से 18 आयु के किसी भी बच्चें को किसी भी संस्था या विशेष वर्ग के संस्था में निर्धारित समय सीमा कुल छह घंटे से ज्यादा काम कराना अपराध है।
- इसके अलावा बच्चे का हर तीन घंटे काम करने के बाद आराम करने के लिए एक घंटे का अल्पावकाश दिया जावें।
- किसी भी बच्चे को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम नहीं करवाया जा सकता है।
- अगर कोई बच्चा किसी एक संस्था में एक दिन काम कर रहा है तो उसे दूसरी संस्था में उसी दिन काम नहीं करवाया जा सकता है।
- किसी भी संस्था में काम करने वाले बच्चे को सप्ताह में एक दिन का पूर्ण अवकाश देना जरूरी है।
- किसी भी संस्था के मालिक या प्रबन्धक द्वारा अगर किसी बच्चे को काम पर लगाया गया है। अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसे 3 महीनें से एक साल तक का कारावास या 10 हजार से 20 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है।

- अगर कोई मालिक या प्रबन्धक एक बार सजा पा चुका है और वह दुबारा ऐसी गलती करता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है।

बाल विवाह (प्रतिषेध अधिनियम 2006)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 राज्य में बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रभावी कानून है। इस कानून के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना कानूनन अपराध है।

- **धारा 9** के अनुसार जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह दो वर्ष कठोर कारावास या एक लाख जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
- **धारा 10** के अनुसार जो कोई बाल विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट या दुष्प्रेरित करेगा वह कठोर कारावास से जो दो वर्ष तक का होगा एवं एक लाख रूपये जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- **धारा 11** के अनुसार बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने, बाल विवाह में उपस्थित होने एवं भाग लेने पर दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध को संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध माना गया है।
- **धारा 3** के अनुसार बाल विवाह होने पर बालक/बालिका की प्रार्थना पर विवाह को शून्य घोषित करवाया जा सकता है।
- शून्यकरण वयस्क होने के 2 वर्ष के अन्दर ही करवाया जा सकता है।
- प्रत्येक जिले में उपखण्ड अधिकारियों एव तहसीलदारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
- बाल विवाह में शामिल–महिला पक्षकार (बालिका) को कानून में निर्वाह भत्ता तथा आवास प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- बाल विवाह के फलस्वरूप पैदा हुए बच्चों की अभिरक्षा के लिये जिला न्यायालय बच्चे के कल्याण एवं हितों का ध्यान रखते हुए उपयुक्त आदेश जारी करते हैं।
- बाल विवाह से पैदा हुआ बच्चा सभी अधिकारों के लिए वैध माना जायेगा।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग निर्धारण का वर्जन अधिनियम 1994)

राष्ट्रीय स्तर पर गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग निर्धारण का वर्जन) अधिनियम 1994 (पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम) 20 सितम्बर 1994 को अधिनियम किया गया।

- कानूनी रूप से यह तकनीकें, गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक विकारों जो जन्म से पूर्व हो सकते हैं उनका पता लगाने के लिए प्रयोग की जा सकती है।

- किसी भी चिकित्सा व्यवसायी, आनुवांशिक परामर्श केन्द्र या क्लिनिक को अधिनियम के अधीन पंजीकृत हुए बिना प्रसव पूर्व निदान से जुड़ी तकनीक से सम्बन्धित गतिविधियां करने या उसमें सहायता करने पर पाबन्दी है।
- कोई भी चिकित्सा व्यवसायी, आनुवांशिक परामर्श केन्द्र या क्लिनिक इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के साधनों द्वारा प्रसव पूर्व या पश्चात् का लिंग निर्धारण नहीं करेगा और नहीं करने की अनुमति देगा।
- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम में बनाये नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ऐसा करने पर तीन वर्ष तक कारावास तथा दस हजार रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है तथा दुबारा अपराध कारित करने पर 5 वर्ष तक का कारावास तथा 50 हजार रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है।

Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : Ankit Printers, Jaipur # 2329864